न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी०एक्ट) रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं.855/2025

पतराखन..........................बनाम.....................रामशंकर पाल एवं अन्य।

अं०धारा-173(4) BNSS

थाना अकबरपुर, कानपुर देहात।

दिनांक 11-03-2026

1- प्रार्थी पतराखन की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा-173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण कुलदीप कुमार व साहिल के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी द्वारा अपने आवेदनपत्र में अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के नाम गांव के खसरा नं0-207 में पैतृक जमीन है। जिस पर हमारा कब्जा हमेशा बना रहा है व जिस पर हमारे खम्भे भी गड़े रहे हैं। दिनांक 05.12.2025 को समय लगभग दोपहर 01:00 बजे राजस्व की तरफ से कानूनगो लेखपाल आदि की टीम आई थी और उस दौरान भी प्रार्थी के खम्भे जमीन पर सही सलामत गढे हुए थे जिसके फोटो प्रार्थी के पास हैं। जब राजस्व टीम ने रामशंकरपाल व राम सिंह पाल की जमीन की नाप की तो पाया कि उनकी जमीन तो हमारी जमीन की बाउन्ड्री के पीछे है छोटी तलैया के पास निकली है जहां रामशंकर पाल व राम सिंह पाल का पहले से ही पैतृक कब्जा बना रहा है परन्तु ये लोग अपनी दबंगई व गुण्डई के चलते हमारी जमीन पर घात लगाये बैठे हैं। राजस्व टीम के सामने ही रामशंकर पाल, मनोज पाल, सनोज पाल, राजेश पाल, सुनील पाल, रामसिंह पाल व सोमपाल आदि लोग प्रार्थी व उसके भाई को धमकाने लगे कि तुम लोगो के खम्भे हम उखाड़ फेकेगे। इस पर राजस्व टीम ने इन लोगों को सावधान किया कि पतराखन आदि लोगो की जमीन की हद में किसी प्रकार से कब्जा न करें और इनके लगे हुए खम्भे किसी भी प्रकार से उखड़ने नही चाहिए। इसके बाद उक्त सभी विपक्षी हमको धमकाने लगे कि हम खम्भे उखाड़ देगे। दिनांक 05.12.2025 की शाम को समय लगभग 07:30 बजे जब हम लोग सड़क के पास बैठे थे उक्त सभी विपक्षीगण आकर हमें धमकाने लगे कि साले चमारों हम तुम्हें यहां रहने नही देगे तुम्हें यहां से भगा देगे और तुम वहीं जाओगे जहां हम चाहेगे। इसके बाद उनके घर में रात्रि में कुछ गुण्डे लोग भी आये थे। रात्रि में उन्होंने गुण्डों के साथ मिलकर हमारी जमीन पर गड़े खम्भे उखाडकर चोरी कर ले गये और सुबह हमारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगे और बेलचे से गड्ढे खोदने लगे और अपने खम्भे गाड़ने का प्रयास करने लगे। जब हमने रोकने की कोशिश की तो भद्दी-भद्दी जाति सूचक गालियां देते हुए कहने लगे कि हम बिकरू गांव से विकास दुबे के गुण्डे लेकर आये हैं और पास आने या रोकने की कोशिश करोगे तो जान से मार डालेगे। प्रार्थी डर की वजह से हमने 112 नं0 डायल कर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने वहीं पर काम करवा दिया इसके बाद भी उक्त सभी विपक्षीगण धमकी दे रहे हैं कि तुमको गांव से भगा कर ही रहेगे। प्रार्थी/वादी ने थाना हाजा में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन थाना हाजा पर उक्त मुल्जिमानों का राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उक्त मुल्जिमानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने पर प्रार्थी/वादी ने जरिए रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय

कानपुर नगर दिनांक 12.2025 को प्रेषित किये किन्तु आज दिन तक कोई कार्यवाही नही हुयी।

3- प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, कानपुर देहात को प्रेषित पत्र, शजरा, इन्तखाब खसरा,आदेश अपर आयुक्त 30-09-03 , जनसुनवाई कार्यवाही का विवरण की छायाप्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

4- प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाना की आख्या के अनुसार इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6- प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को अभियुक्तगण के नाम, पते, घटना की पूर्ण जानकारी है जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दि. को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(शैलेन्द्र निगम)
UP ID NO-6182
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी/एस०टी०एक्ट)
रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।